पत्रांक /142/आयु0राज्य कर उत्तरा0/राज्य कर/सम्पत्ति–अनु0/2018–19/देहरादून

कार्यालय:: आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड
(सम्पत्ति–अनुभाग)

दिनांक:: देहरादून :: 10 अप्रैल, 2018

– :: निविदा हेतु सामान्य नियम एवं शर्ते ::–

01. आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड के कार्यालय भवन मसूरी बाईपास रोड एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, उत्तराखण्ड के समस्त कक्षों, कान्फेन्स हाल, कैन्टीन/किचन, बाथरूम, टायलेट, परिसर आदि के सफाई कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसेः–झाडू, पोछा, धूल की सफाई (Dusting) का कपड़ा, हारपिक, तेजाब, लायजॉल, फिनायल की गोलियां, कूड़ा कचरा एकत्र करने हेतु कन्टेनर आदि का सम्बन्धित फर्म द्वारा अपने व्यय पर वहन किया जायेगा।

02. टायलेट में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जैसे– पानी का डिब्बा/डस्टबीन, कपूर की गोली, समस्त वॉस बेसिन में प्रयुक्त होने वाला साबुन उच्च क्वालिटी का फर्म द्वारा स्वयं अपने व्यय पर वहन करना होगा।

03. आयुक्त राज्य कर कार्यालय एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के समस्त कक्षों, कान्फेन्स हॉल, कैन्टीन, किचन, बाथरूम, टायॅलेट एवं परिसर की प्रति दिन प्रातः 9.00 बजे सफाई करनी होगी, जिसमें भवन के प्रत्येक कमरे, गैलरी, सीढ़ियाँ एवं आवश्यक स्थानों पर फिनायल युक्त गीले कपड़े से पोछा मारा जाना अनिवार्य होगा एवं दोपहर 3.00 बजे आयुक्त राज्य कर कार्यालय एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान की गैलरी, सीढ़ियॉ एवं आवश्यक स्थानों पर फिनायल युक्त गीले कपड़े से पोछा मारा जाना प्रतिदिन अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त भवन की पानी निकासी नालियों की प्रतिदिन सफाई करनी होगी। सफाई कार्य हेतु प्रत्येक तल पर सफाई कर्मी आवश्यक सामग्री सहित मौजूद रहेगें।

04. सप्ताह में एक दिन आयुक्त राज्य कर कार्यालय एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के फर्श की पानी एवं सर्फ से धुलाई होगी।

05. आयुक्त राज्य कर कार्यालय एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के कैम्पस/परिसर की सफाई की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी तथा समस्त कूड़े को परिसर के बाहर स्वयं ले जाया जायेगा एवं परिसर में कूड़ा एकत्रित नहीं किया जाएगा।

06. आयुक्त राज्य कर कार्यालय एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के समस्त कक्षों में लगे फर्नीचर, पंखे एवं अन्य उपकरणों जैसे– कम्प्यूटर/ए0सी0/कूलर/वाटर कूलर/उपकरणों आदि की धूल की सफाई (Dusting) करनी होगी।

07. भुगतान हेतु बिल प्रतिमाह आयुक्त राज्य कर कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। भुगतान की प्रकिया बजट की उपलब्धता के अनुसार होगी। भुगतान की जाने वाली राशि पर नियमानुसार आयकर/जी0एस0टी0आदि की कटौती की जायेगी।

08. जिस फर्म की निविदा, निविदा समिति द्वारा स्वीकार्य की जायेगी उस फर्म द्वारा निविदा स्वीकृत मूल्य के सापेक्ष सम्पूर्ण कार्य अवधि के भुगतान के योग का जैसा कि प्रक्योरमेन्ट नियमावली–2017 के कमांक 20 पर दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत उल्लेख है, धरोहर धनराशि आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड के पक्ष में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

09. निविदा समिति द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने वाली उन समस्त फर्मो (जिनके द्वारा पूर्व में इस विभाग में सफाई का कार्य किया गया है) के पूर्व में किये कार्यो के गुण–दोष के आधार पर भी मूल्यांकन किया जायेगा, बशर्ते उनके द्वारा क्यों न सबसे कम दर अंकित की गई है, निविदा समिति का निर्णय मान्य होगा।

10. निविदादाता अपने प्रस्ताव के साथ आकलन भी प्रस्तुत करेगें।

11. राष्ट्रीय पर्वो (जैसे–15 अगस्त, 26 जनवरी, 02 अक्टूबर) भवन के मुख्य द्वार से 50 मीटर आगे तक दोनों तरफ चूना डालना होगा, जिसका व्यय सम्बन्धित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।

12. फर्म द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु कमशः कार्यालय आयुक्त राज्य कर उत्तराखण्ड के भवन एवं परिसर हेतु 04 सफाई कर्मचारी एवं राज्य कर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान भवन हेतु 03 सफाई कर्मचारी रखे जायेगें, जिनका व्यय फर्म द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

13. निविदा स्वीकृत फर्म को उक्त अंकित शर्तो के अनुरूप कार्य करना होगा। कार्य संतोषजनक न होने एवं कार्य बीच में छोड देने की स्थिति में फर्म द्वारा जमा धरोहर धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा पूर्व में काली सूची में रखी गई फर्म अथवा फर्म स्वामियों द्वारा प्रस्तुत निविदायें स्वीकार नहीं की जायेगी।

14. किसी भी वाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र देहरादून रहेगा।

(जगदीश सिंह)
डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।